वाणिज्य-अ.ज. 339

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
वाणिज्य विभाग

क्रं-अ.वि.वि.नि.लि / मु.अ. (वा.) /अ.अ.(वा.)/फा. 57 (डी)/2008/ प्रे. 6297 दिनांक 21.2.08

आदेश

विषयः- शीत लहर एवं पाला से प्रभावित लघु एवं सीमान्त काश्तकारों जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, के चार माह के बिजली के बिलों की राशि का भुगतान माफ करने बाबत्।

राज्य में अभी हाल ही में जनवरी एवं फरवरी, 2008 में अत्यधिक शीतलहर एवं पाला पड़ने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उक्त स्थिति पर विचार कर राज्य सरकार ने ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषकों, जिनकी फसलें 50 प्रतिशत से अधिक खराब हो गई है, को सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित ''सहायता पैकेज'' देने का निर्णय लिया है:-

1. शीत लहर एवं पाला पड़ने से प्रभावित लघु एवं सीमान्त काश्तकारों की जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हो गई है उनसे चार माह अर्थात बिलिंग माह दिसम्बर, 2007 से मार्च, 2008 तक के विद्युत बिलों की राशि वसूल नहीं की जायेगी।

2. इसके अतिरिक्त यह सहायता पैकेज उन काश्तकारों को भी दिया जायेगा जिन्होनें अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर स्वतंत्र रूप से धारित भूमि का कुल रकबा यदि ''लघु एवं सीमान्त कृषकों'' के लिये धारित रकबे के अनुसार है।

3. बिलों में दी गई छूट का पुनर्भरण राज्य सरकार के ''आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग'' द्वारा किया जायेगा।

इस विषय में सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता (ओ एण्ड एम) जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर ''शीत लहर एवं पाला'' से प्रभावित गांवो के उपरोक्त श्रेणी के काश्तकारों की ग्रामवार एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध करायेंगे। इस सूची के आधार पर ही सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा बिलिंग माह दिसम्बर, 07 से मार्च, 08 के बिलों की राशि माफ करने की कार्यवाही की जाये।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात् दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी, इस संबंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगे, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

यह आदेश अजमेर डिस्कॉम के निदेशक मंडल के अनुसमर्थन (Subject to ratification) की दशा में प्रसारित किये जाते हैं।

आज्ञा से,

(एस. एल. धानका)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निर्देशक (वित्त) अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
2. मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, उदयपुर।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/झुनझुनु ।
4. मुख्य लेखाधिकारी ( ), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
6. अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स/प्लान/एमएम), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/उदयपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता (परि. एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम............को.........अतिरिक्त प्रतिलिपियाँ अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
9. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
10. अधिशाषी अभियन्ता ( ), अजमेर डिस्कॉम.....................
11. वरिष्ठ लेखा अधिकारी ( ), अजमेर डिस्कॉम....................
12. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर ।
13. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
14. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/जोधपुर।

अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)

Annexure 'A'

APPLICATION FORM FOR "AMNESTY SCHEME – 2008"

The Assistant Engineer ( ),
Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited,
____

Sir,

I/We want to avail the benefit under "AMNESTY SCHEME – 2008". The details of my/our connection are as under:-

1. Name & address of the consumer :
2. Category of consumer :
3. Account No. :
4. Disconnected or Running (Status) :
5. Name of the concerned office from where the bills are issued :
6. Certified that the outstanding is no against the assessment of theft of electricity &/or malpractice.
7. I/We also certify that there is not court case pending against this connection.

   OR

   I/We agree to withdraw all the court cases Pending in any Court of Law related to this Connection against Ajmer Discom.

Place :

Dated: Signature of the Applicant